बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्सनमिशन कम्पनी लि0
(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)
निबंधित कार्यालय:-विधुत भवन, बेली रोड, पटना
Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in
CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

कार्यालय आदेश सं0 – 88 / पटना, दिनांक 21/02/2025/

T-IV/Misc/Allegation/4003/2024

श्री लालदेव प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–VIII, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के आवेदन दिनांक–04.10.2024 द्वारा श्री चन्द्रमोहन, सहायक, कम्पनी मुख्यालय, पटना के विरुद्ध दूरभाष पर दिनांक–11.09.2024 को अमर्यादित/अभद्र तरीके से बात किये जाने के आरोप पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के का0 आ0 सं0–1352 दिनांक–15.10.2024 द्वारा श्री चन्द्रमोहन, सहायक को उनके विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तत्क्षण प्रभाव से निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय– विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णिया (पूर्वी) निर्धारित किया गया। साथ हीं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु होल्डिंग कम्पनी द्वारा निम्न आरोप अधिरोपित किया गयाः –

(i) श्री चन्द्रमोहन, सहायक, कम्पनी मुख्यालय, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा दिनांक–17.05.2024 को उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) के कार्यालय कक्ष में घुस कर अभद्र/ अशिष्ट एवं अमर्यादित व्यवहार किया गया।

(ii) पुनः दिनांक–11.09.2024 को श्री चन्द्रमोहन द्वारा श्री लाल देव प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–VIII, BSPTCL के साथ दूरभाष पर अमर्यादित/अभद्र तरीके से बात की गई।

उक्त आरोप पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के का0 आ0 सं0–554 दिनांक–22.10.2024 द्वारा श्री चन्द्रमोहन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत विद्युत कार्यपालक अभियंता, SBPDCL को जाँच पदाधिकारी एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत अपने कार्यालय के पत्रांक–106 दिनांक–10.01.2025 द्वारा उक्त मामले में जाँच प्रतिवेदन सुसंगत अभिलेखो सहित समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में लगाये गये 2 आरोपों में से आरोप संख्या–1 को प्रमाणित पाया गया। जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कम्पनी के पत्रांक–226 दिनांक–22.01.2025 द्वारा श्री चन्द्रमोहन, सहायक से द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। आरोपी कर्मी द्वारा उक्त के अनुपालन में दिनांक–31.01.2025 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया।

आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक–31.01.2025 के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोप सं0–01 में स्पष्ट किया गया है कि इस कम्पनी के पत्रांक–2024 दिनांक–09.08.2024 द्वारा भविष्य मे सचेष्ट करने का निदेश के साथ आरोप मुक्त किया गया है। इस प्रकार जाँच पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या–1 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या–2 में लगाए गए आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा लगाए गए दो आरोप क्रमशः 1 एवं 2 में आरोप 1 को प्रमाणित एवं आरोप 2 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

कृ0पृ0उ0

टंकण–विकास कुमार

जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाब एवं सुसंगत अभिलेखों की समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री चन्द्रमोहन के विरुद्ध उच्च स्तर के वरीय पदाधिकारी के साथ अमर्यादित आचरण रखना आदत सी बन गई है, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा जून 2024 से जनवरी 2025 के बीच तक किये व्यवहार के लिए लगे 2 आरोपों से होती है। उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए उनके स्पष्टीकरण पर सहनुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने मात्र का निदेश दिया गया था, ''चेतावनी'' या अन्य कोई शास्ति प्रदान नहीं की गई थी। अतः अरोपी का यह कहना है कि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा देना न्यायोचित नहीं है; यह मान्य नहीं किया जा सकता है। अतएव आरोप संख्या–1 के लिए इनका कार्यालय आचरण विचारणीय हो जाता है। यद्यपि आरोप सं0–2, आरोपकर्त्ता के द्वारा आरोपी को सहयोग के कारण अप्रमाणित माना गया है, अतः निःसंदेह श्री चन्द्रमोहन के द्वारा कार्यालीय मर्यादा का उल्लंघन किया गया है।

अतएव सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपी कर्मी श्री चन्द्रमोहन, तदेन सहायक सम्प्रति निलम्बित (निलंबन अवधि में मुख्यालय–विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ, पूर्वी) के विरुद्ध निम्नांकित ''शास्ति'' अधिरोपित करने निर्णय लिया गया है:–

1. श्री चन्द्रमोहन को तत्क्षण प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाय।
2. उन्हें असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की ''शास्ति'' प्रदान की जाय।
3. निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देने एवं निलम्बन अवधि की गणना अन्य प्रयोजनार्थ की जाय।

तदनुसार, श्री चन्द्रमोहन, तदेन सहायक सम्प्रति निलम्बित (निलंबन अवधि में मुख्यालय–विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ, पूर्वी) को निम्नांकित ''शास्ति'' अधिरोपित किया जाता है:–

1. **श्री चन्द्रमोहन को तत्क्षण प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।**
2. **उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की ''शास्ति'' प्रदान की जाती है।**
3. **निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान एवं निलम्बन अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ गणना करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री चन्द्रमोहन, तदेन सहायक सम्प्रति निलम्बित (निलंबन अवधि का मुख्यालय–विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ, पूर्वी) को हस्तगत करा दी जाय।

आदेश से,
ह0/–
(शशिकान्त कुमार)
अबर सचिव

ज्ञापांक – ____________/ पटना, दिनांक–__________/

प्रतिलिपि–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

टंकण–विकास कुमार

ज्ञापांक – ______________________/ पटना, दिनांक–________________/

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0) / महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना / महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0) / महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड / उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधिक्षण अभियंता, कोशी, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, सहरसा / विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पूर्णियाँ / विद्युत कार्यपालक अभियंता / लेखा पदाधिकारी / श्री चन्द्रमोहन (E16332), सहायक (निलंबित), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ (पूर्वी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. श्री चन्द्रमोहन, निलंबन से मुक्ति के उपरांत महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के समक्ष अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेगे।
2. महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड से अनुरोध है कि श्री चन्द्रमोहन, सहायक का पदस्थापन BSPTCL को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी में करने एवं BSPTCL में किसी अन्य सहायक को पदस्थापित करने की कृपा की जाय।

ह0/–

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक – 508 / पटना, दिनांक– 21/02/2025 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0) / महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0 / प्रशा0) / सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0) / उप सचिव / सभी अवर सचिव / डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर / वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / प्रशासी पदाधिकारी (ERP) / लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटा बेस ऐडमिनिस्ट्रेटर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति कम्पनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

21.02.25

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

21/02/25

टंकण–विकास कुमार

(15) DBA, BSPTCL

(11)